

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्थान सरकार का कां. 2024

राजस्व ग्राम <u>शिरवली</u> पंचायत <u>शिरवली</u> मू०अ०नि०वृत्त <u>आइरोड</u> तहसील <u>सिरोही जिला</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	102	47	0.0253	मोहिराराम पूजा नगा हिस्सा - 1/6 जाति भील प्रा. डेरवा 2011/14/1 साहित हिस्सा - 1/6 (2011/14/1) असहि M43 211/2011 डिवली शेख लालदा 04/1/14	मोहिरा रम पूजा नगा हिस्सा 1/6 जाति भील प्रा. डेरवा 2011/14/1 साहित हिस्सा 1/6 पूजा नगा M43 211/2011 डिवली शेख लालदा 04/1/14	राजस्थान शासकीय शिवालय डिवली जमाबंदी 928 डि. 2011/21/25 अनुप खंड का नाम राजस्थान शासकीय खंड होने से शुद्धि दि जानी उचित है
<p>मुताबिक मिसल / जमाबंदी संवत् 2012... (<u>2012</u>) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रयण योग्य है।</p>				<p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>	<p>प०हल्का <u>मोहिरा</u> मू०अ०नि० <u>आइरोड</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण गन्दोबस्त सक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।</p>	<p>प०हल्का _____ मू०अ०नि० _____ राजस्व अधिकारी _____ की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जायेगा</p>
दिनांक <u>21/1/26</u>	<p>पटवारी (म.अ.) <u>मोहिरा</u> तहसील <u>आइरोड</u> (सिरोही)</p>		दिनांक <u>26/2/26</u>	<p><u>FN</u> ह० मू०अ०नि० <u>आइरोड</u></p>	<p><u>W</u> 27/02/26 तहसील राजस्व अधिकारी</p>	<p>सहायक कलेक्टर आइरोड (सिरोही) ह० उपखण्ड अधिकारी</p>